राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88 (पार्ट– I)/2019/ दिनांक :

आदेश

इस निदेशालय की जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019–20 की संक्षिप्त/विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2019/534 व 535 दिनांक 11.09.2019 के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक उक्त प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त अभ्यर्थियों की अस्थाई सूचियां एतद् द्वारा जारी की जाती है।

यदि किसी अभ्यर्थी को इस सूची से कोई आपत्ति हो तो वह अपनी परिवेदना ऑनलाईन विभागीय वैबासाईट www.rajswathya.nic.in पर rajgnm.rajasthan.gov.in पर दिनांक 07.10.2019 से दिनांक 09.10.2019 को मध्यरात्रि तक अपलोड कर सकता है। ताकि उनका परीक्षण कर काउंसलिंग से पूर्व ही उन आपत्तियों पर समुचित निर्णय लिया जा सके।

जिन अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष या उससें अधिक पुराने है, ऐसे अभ्यार्थी काउंसलिंग में चयनोंपरान्त् अपना नवीनतम ओबीसी प्रमाण पत्र अपने आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। तभी चयनित अभ्यार्थियों को आरक्षित वर्ग का लाभ देय होगा। जिन अभ्यार्थियों के प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज अपठनीय है, उनके द्वारा पठनीय दस्तावेज तथा नवीनतम ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर इनका आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

ऐसे राजकीय सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारी जिन्होनें उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन किया है तथा विभागीय विज्ञप्ति क्रमांक : 534 व 535 दिनांक 11.09.2019 के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 30.09.2019 तक पांच वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण नही की है, ऐसे अभ्यार्थियों को राजकीय सेवारत कर्मचारी का लाभ नही दिया गया है।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88 (पार्ट– I)/2019/608 दिनांक : 7/10/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, अति0 निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
2. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचियां सॉफ्ट कॉपी में आपको भिजवाई जा रही इन्हें विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2019–20 में अपलोड करने का श्रम करे। (संलग्न : सीडी एक)
3. जन सूचना अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आशय का प्रेस नोट राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु संबंधित को भिजवाने का श्रम करावें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर